न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 02/2012 (GCMS : 2012/00018)

कौशल्या वगैरहा बनाम डी.आर.ओ.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुल्तान सिंह बुडानीया उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया के पत्रावली में No instruction अंकित करना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस न्यायालय की निगरानी डीपी पत्रावली संख्या 08/1999 कौशल्या देवी वगैरहा बनाम सरकार में दिनांक 05.12.2005 के आदेश से डीपीसी एण्ड आर एक्ट 1954 रिपील होने तथा सेविंग क्लॉज न होने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। प्रार्थीया कौशल्या देवी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, राज्य सरकार के परिपत्र एफ1(15)राजस्व/पुर्नवास/2009 दिनांक 06.10.2009 के अनुसरण में पत्रावली में पेशी में ली जाकर कार्यवाही करने की प्रार्थना करने पर, राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसरण में पत्रावली पुनः दर्ज की गई थी। वर्तमान में पत्रावली उभयपक्ष की बहस हेतु नियत है।

अब प्रार्थी के अधिवक्ता उक्त पत्रावली में कोई निर्देश प्राप्त न होने के कारण आगे नहीं चलाना चाहते है। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने पत्रावली की फर्दअहकाम पर No instruction अंकित किया है। इसी आधार पर निगरानी डीपी इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी No instruction में खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी एवं जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय की मूल पत्रावली की सत्यापित प्रति, इस न्यायालय की पत्रावली में शामिल करे। **जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके न्यायालय मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:21 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर